

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4612 /

जबलपुर, दिनांक 7 / 6 / 2024

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री प्रदीप बालकृष्ण वाल्दे, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.2024 पर पात्रता अनुसार 150 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार महोदय  
के आदेशानुसार


सही / -  
(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. A/4613 /

जबलपुर, दिनांक 7 / 6 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री प्रदीप बालकृष्ण वाल्दे, अशर, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(दीपक बंसल) 05.06.24  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)